1696
11/7/14

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : काउन्सिल फॉर हेल्थ केयर एण्ड डायग्नोस्टिक साईन्सेज।

(Council for health-care and diagnostic sciences)

2. संस्था का कार्यालय : बी–302, सागर केम्पस, कोलार रोड, चूना भट्टी भोपाल। तहसील हुजुर जिला भोपाल में स्थित होगा ।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होगे :–

1. आयुर्विज्ञान (मानव जीवन को दीर्घायु प्रदान करने से संबंधित विज्ञान और विधाओं एवं प्रणालियों), पैरामेडिल,रोग– निर्णय (डायग्नोस्टिक) विज्ञान और उनकी विर्भिन्न संबंधित शाखओं में अनुसंधान और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना, उनका प्रचार और प्रसार करना।

2. जन–सेवार्थ अस्पतालों, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स, डे–केयर सेन्टर्स, हेल्थ रेसोर्टस, क्लिनिक, रक्तदान केन्द्रों आदि का संचालन, रख रखाव और प्रबंध करना।

3. जन–स्वास्थ्य से संबंधित पत्र–पत्रिकाओं, पोस्टर्स, हैण्डबिल, लघु पुस्तिकाओं आदि का प्रसार करना और उनके माध्यम से स्वास्थ्य स्तर को उंचाा उठाने के लिये जानकारी प्रदान करना।

4. अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ओर विभिन्न स्तरों पर जन–स्वास्थ्य समस्योओं से संबंधित विषयों पर विचार–गोष्ठियों द्वारा आयोजित ऐसे ही कार्यक्रमों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना, भाग लेना और उनके आयोजनों को प्रोत्साहित करना।

5. जनस्वास्थ्य सेवा और प्रशिक्षण के क्षेत्र स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ओर राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं आदि के साथ ताल मेल रखना और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर उनके सहयोग से सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों आदि का आयोजन करना।

6. जन स्वास्थ्य विज्ञान तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास करना ।

7. अन्य ऐसे सभी और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, संचालन और व्यवस्था करना और प्रोत्साहित करना जो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों और जिन्हें संस्था की प्रबन्धकारिणी की स्वीकृति प्राप्त हो।

8. वाणिज्य, विज्ञान एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

9. शिक्षण संबंधी संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, स्नातक –स्नातकोत्तर शिक्षा, विधि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, रोजगार उन्मूलन शिक्षा, औपचारिकेत्तर शिक्षा का संचालन करना ।

~~10. प्रदेश एवं व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करना~~।

~~11. मानव संसाधनों के विकास के कार्यक्रम करना~~।

~~12. उद्यमिता के विकास के कार्यक्रम करना~~ ।

13. व्यक्तियों, प्रोफेशनल, शिक्षकों, छात्रों, गृहणियों एवं बच्चों के चहुंमुखी विकास एवं प्रशिक्षण के लिये समय समय पर कार्यशाला एवं गोष्ठियॉ आयोजित करना।

14. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम करना ।

15. शिक्षा के विकास के कार्यक्रम, पर्यावरण सुरक्षा, परिवार नियोजन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम करना।

16. महिलाओं एवं पुरूषों को सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताना।

17. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम करना।

(अध्यक्ष)
अध्यक्ष
काउन्सिल फॉर हेल्थ-केयर
एण्ड डायग्नोस्टिक साईन्सेज
भोपाल

(सचिव)
सचिव
काउन्सिल फॉर हेल्थ-केयर
एण्ड डायग्नोस्टिक साईन्सेज
भोपाल

(कोषाध्यक्ष)
कोषाध्यक्ष
काउन्सिल फॉर हेल्थ-केयर
एण्ड डायग्नोस्टिक साईन्सेज
भोपाल

NOTARY
A. K. Agrawal
MP-09/05/06/ 21-B(2)2015
Distt. Bhopal Reg. 26-06-97
M.P. GOVT. INDIA

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल

18. युवाओं को कैरियर निर्माण के लिये प्रोजेक्ट आदि बनाना।

19. निःशक्त व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास के लिए शिक्षण प्रशिक्षण रोजगार, उपचार एवं पुनर्वास के संस्थागत एवं असंस्थागत कार्यक्रम संचालित करना।

20. वृद्वजनों की देखरेख, संरक्षण, चिकित्सकीय, सामाजिक, आर्थिक पुर्नवास कार्यक्रम संचालित करना।

21. अनाथ, निराश्रित, उपेक्षित, अनियंत्रित, अपचारी बच्चों, किशोरों, युवाओं, महिलाओं को पुनर्वास के लिए संस्थागत एवं असंस्थागत कार्यक्रम संचालित करना।

22. मादक द्रव्य/ पदार्थों की रोकथाम, उपचार करने नियंत्रण करने हेतु प्रचार, प्रसार, नशामुक्ति केन्द्रों का संचालन करना तथा संस्थागत सेवाऐं प्रदान करना।

23. आर्थिक रूप से कमजोर, तलाकशुदा, विधवा एवं अन्य किसी कारण से परेशान महिलाओं को तकनीकी एवं अन्य क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यक्षमता को बढाना जिससे वह आर्थिक रूप से सुदृढ हो एवं स्वावलंबी बन सकें ।

24. महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित सभी गतिविधियों में भाग लेना ।

25. महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों हेतु जागरूक करना, उन्हें वैधानिक मामलों में मदद करना व महिला कल्याण केन्द्र, विधि, नारी उत्पीडन एवं परिवार परामर्श केन्द्र संचालित करना ।

26. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक, मानसिक, आर्थिक एवं रचनात्मक कार्य करना, महिला स्वावलम्बन हेतु शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण, महिला शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ शिक्षा, कामकाजी महिला होस्टल, आदि का संचालन करना ।

27. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडे वर्ग के क्षेत्र में बच्चों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ इनकी कार्यक्षमता को बढाना तथा उनके आत्मविश्वास में वृद्वि व प्रतिभा को विकसित करने हेतु प्रयास करना ।

28. खेल एवं युवक कल्याण कार्यक्रम संचालित करना, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, प्रशिक्षण देना, युवा कल्याण केन्द्र खोलना, कम्प्युटर शिक्षा केन्द्र खोलना, स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलना ।

29. अनाथ, गरीब व लावारिस बच्चों के लिये अनाथलय खोलना व इन्हें गोद लेकर पालन– पोषण करना तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध स्थापित कर मार्गदर्शन प्राप्त करना एवं आर्थिक मदद प्राप्त करने के प्रयास करना ।

30. चल चिकित्सालयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडे वर्ग के लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा औषधीय वितरण का कार्य करना व स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु जागरूक बनाना ।

31. निराश्रितों, वृद्धों, विधवाओं परित्याक्ताओं, अनाथों, किशोरों, महिलाओं, विकलांगों, मानसिक रूप से अविकसित लोंगों के लिये विकास, पुर्नवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, एवं आश्रम व झूलाघर संचालित करना ।

32. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों एवं युवाओं हेतु कौशल उन्नयन, सामाजिक जागरूकता एवं शासकीय–अशासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

33. नशा खोरी, जन संख्या वृद्वि छुआछूत, साम्प्रदायिकता, स्ट्रीट चिल्ड्रन, वेश्यावृत्ति, दहेज प्रथा, बाल श्रमिक, महिला उत्पीडन, बेगार प्रथा एडस जैसे असाध्य रोग दूर करने के लिए शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना व नुक्कड नाटकों का आयोजन कर जागरूकता पैदा करना ।

34. समाज के उपेक्षित पिछडे एवं जरूरत मंद समूह के बच्चों एवं महिलाओं के उन्नयन के लिये प्रशिक्षण कार्ग्रम एवं मार्गदर्शन शिविरों का आयोजन करने के साथ ही उन्हें सहारा देने के लिये केन्द्र का संचालन करना । स्वयं सहायता समेहों का`ठन करने में मदद करना ।

35. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक विकास एवं समन्वय स्थापित करने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कियान्वयन करना ।

36. संस्था अलाभकारी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

PHOTO COPY CERTIFIED
20/2/17
A. K. AGRAWAL
NOTARY BHOPAL (INDIA)

(अध्यक्ष)	(सचिव)	(कोषाध्यक्ष)
अध्यक्ष काउन्सिल फॉर हेल्थ-केयर एण्ड डायग्नोस्टिक साईन्सेज भोपाल	सचिव काउन्सिल फॉर हेल्थ-केयर एण्ड डायग्नोस्टिक साईन्सेज भोपाल	कोषाध्यक्ष काउन्सिल फॉर हेल्थ-केयर एण्ड डायग्नोस्टिक साईन्सेज भोपाल